

मैसर्स ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड-चरण- II एसईजेड, खराडी, पुणे, के आईटी/आईटीईएस के लिए सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र, का जोनल विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, सीप्ले एसईजेड, मुंबई में दि 29.02.2024 को आयोजित 116 वी अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

1	एसईजेड का नाम	मैसर्स.ईओएन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड-एसईजेड, चरण II
2	क्षेत्र	आईटी/आईटीईएस
3	मीटिंग नं	116 वी
4	तारीख	29.02.2024

उपस्थित सदस्य:

क्र.	नाम एवं पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ संयुक्त विकास आयुक्त पुणे	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्रीमती भारती आहूजा सहायक आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
3	डॉ. दिलीराज दाभोले, उपमहानिदेशक डीजीएफटी,	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
4	श्रीमती मालती नायर, सीमा शुल्क अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग पुणे नामित

विशेष आमंत्रित :

क्र.	नाम एवं पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री. शम्भू दयाल मीना विनिर्दिष्ट अधिकारी	ईओएन-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा आइटम नंबर 01: दिनांक 09.02.2024 को आयोजित 115 वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 09.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की 115 वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा आइटम नंबर 02: मैसर्स सिटीकॉर्प सर्विसेज इंडिया प्रा. लिमिटेड का मॉनिटरिंग ऑफ़ परफॉर्मन्स ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम, 54 के अनुसार, दूसरे ब्लॉक अवधि के वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक 5 वर्षों के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- यूनिट ने अनुमानित निर्यात 5993.91 करोड़ रुपये के मुकाबले 7611.60 करोड़ रुपये का निर्यात हासिल किया है यानी, निगरानी अवधि के दौरान 126.98% ।
- यूनिट ने 7130.75 करोड़ रुपये का सकारात्मक संचयी एनएफई हासिल किया है यानी, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 93.66 % ।
- यूनिट ने 5888 (पुरुष- 4024, महिला- 1864) कर्मचारियों का रोजगार हासिल किया है ।
- यूनिट ने वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयात आंकड़े सही ढंग से दाखिल नहीं किए हैं, तदनुसार, समिति ने यूनिट को उसी अवधि के लिए अपने एपीआर को संशोधित करने का निर्देश दिया।
- समिति ने संयुक्त विकास आयुक्त को एपीआर में आयातित पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली सही प्रक्रिया के लिए यूनिट को पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

एजेंडा आइटम नंबर 03: मैसर्स ईटन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मॉनिटरिंग ऑफ़ परफॉर्मन्स ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने पहले ब्लॉक के अंतिम वर्ष यानी वित्त वर्ष 2011-12, दूसरे ब्लॉक अवधि यानी वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2016-17 और तीसरे ब्लॉक अवधि यानी वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया। एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार जैसा कि नीचे बताया गया है:

यूनिट ने अनुमानित निर्यात 252.05 करोड़ रुपये के मुकाबले 512.39 करोड़ रुपये का निर्यात हासिल किया है वित्तीय वर्ष 2011-12 यानी, निगरानी अवधि के दौरान 203.28% । पहले ब्लॉक के दौरान यूनिट ने 1400.53 करोड़ रुपये यानी 88.20 % का सकारात्मक संचयी एनएफई हासिल किया है ।

दूसरे ब्लॉक अवधि वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यूनिट ने अनुमानित निर्यात 4575.55 करोड़ रुपये के मुकाबले 4421.5 करोड़ रुपये यानी 96.63 % का निर्यात हासिल किया है और 3216.47 करोड़ रुपये यानी 72.75 % का सकारात्मक संचयी एनएफई हासिल किया है ।

तीसरे ब्लॉक अवधि यानी वित्त वर्ष 2012-13 से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यूनिट ने अनुमानित निर्यात 3107.36 करोड़ रुपये के मुकाबले 3156.1 करोड़ रुपये 101.56 % का निर्यात हासिल किया है और 2624.63 करोड़ रुपये यानी 83.16% का सकारात्मक संचयी एनएफई हासिल किया है ।

यूनिट ने 31.02.2022 तक 1,534 (पुरुष- 990, महिला- 544) कर्मचारियों का रोजगार हासिल किया है ।

समिति ने पाया कि यूनिट ने भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के बदले डीटीए में सेवाएं प्रदान की हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

वर्ष	डीटीए सेल INR में (करोड़ में)
2009-10	1.98
2010-11	2.23
2011-12	3.16
2012-13	3.85
2013-14	2.74
2014-15	2.27
2015-16	2.93
2016-17	4.17
2017-18	0.14
2018-19	0.17
2019-20	4.08
2020-21	0.27
कुल	27.99

क्योंकि एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) में दी गई परिभाषा के अनुसार आईएनआर के मुकाबले डीटीए में "सेवाएं" प्रदान करना 'सेवाओं' के रूप में योग्य नहीं है, यूनिट ने एसईजेड अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसलिए समिति ने विचार-विमर्श के बाद, इकाई के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और एसईजेड अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन और विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा, समिति ने कहा कि, यूनिट ने डीएसपीएफ दाखिल नहीं किया है, तदनुसार, समिति ने यूनिट को सभी डीएसपीएफ दाखिल करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 116 meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.-Phase-II SEZ, Kharadi, Pune, held on 29.02.2024		
1	Name of the SEZ	M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.-SEZ, Phase II
2	Sector	IT/ITES
3	Meeting No.	116 Meeting
4	Date	29.02.2024

Members present:

Sr	Name and Designation (S/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath Joint Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Smt. Bharati Ahuja Asst. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
3	Dr. Dileeraj Dabhole, Dy. DGFT	Nominee of DGFT, Pune
4	Smt. Malathi J. Nair Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee:

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri. Shambhu Dayal Meena Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

Agenda Item No.01: Confirmation of the Minutes of the 115th meeting held on 09.02.2024

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 115th meeting of Approval Committee held on 09.02.2024.

Agenda Item No.02: Monitoring of Performance for M/s. CitiCorp Services India Pvt. Ltd.

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 5 years from FY 2017-18 to FY 2021-22 of 2nd Block period, in terms of Rule, 54 of SEZ Rule, 2006, as detailed below:

- The unit has achieved Export of Rs.7611.60 Cr. Against the projected export of Rs. 5993.91 Cr. i.e, 126.98% during the monitoring period.
- The unit has achieved positive cumulative NFE of Rs. 7130.75 Cr. i.e, 93.66 % at the end of FY 2021-22.
- The unit has achieved employment of 5888 (Men-4024, Women-1864) employees.
- The Unit has not correctly filed import figure for FY 2020-21 and FY 2021-22 accordingly, the committee directed the unit to revise their APRs for the same period.
- The Committee directed JDC to issue Advisory Letter to the Unit for correct procedure to be followed for evaluation of imported capital goods in the APR.

Agenda Item No.03: Monitoring of Performance for M/s. Eaton Technologies India Pvt Ltd.

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for Last year of 1st Block i.e. FY 2011-12., 2nd Block Period i.e FY 2012-13 to FY 2016-17, and 3rd Block Period i.e FY 2017-18 to FY 2021-22. in terms of Rule, 54 of SEZ Rule, 2006, as detailed below:

The Unit has achieved export revenue of Rs. 512.39 Crores as against projected export of Rs. 252.05 Crores i.e. 203.28% in FY 2011-12 and achieved positive NFE of Rs. 1400.53 Crores i.e, 88.20% on cumulative basis in, last year i.e. FY 2011-12 of 1st Block

The Unit has achieved export revenue of Rs. 4421.5 Crores as against the projected export of Rs. 4575.55 Crores i.e. 96.63 % and achieved positive NFE of Rs. 3216.47 Crores i.e, 72.75% on cumulative basis in FY 2012-13 to 2016-17 of 2nd Block Period.

The Unit has achieved export revenue of Rs. 3156.1Crores as against the projected export of Rs. 3107.36 Crores i.e. 101.56% and achieved positive NFE of Rs. 2624.63 Crores which is 83.16% on cumulative basis in FY 2021-22 of 3rd Block Period

The Unit has achieved employment of 1,534 employees (Men-990, Women-544) as on 31.03.2022.

The Committee observed that the unit has provided services in DTA against the payments received in INR as detailed below:

Year	DTA Sale in INR (in Cr)
2009-10	1.98
2010-11	2.23
2011-12	3.16
2012-13	3.85
2013-14	2.74
2014-15	2.27
2015-16	2.93
2016-17	4.17
2017-18	0.14
2018-19	0.17
2019-20	4.08
2020-21	0.27
TOTAL	27.99

Since providing of "Services" in DTA against INR does not qualify as 'Services' as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, Unit has violated the provisions of SEZ Act & Rules and hence Committee after deliberation, directed to initiate action against the unit and to issue Show Cause Notice for violation of various provision of SEZ Act / Rules and under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

Further, the committee noted that, the unit has not filed DSPF, accordingly, the committee directed the unit to file all the DSPF.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Handwritten signature
27.03.2024

(राजेश कुमार मिश्रा, आईआरएस)

(Rajesh Kumar Mishra, IRS)

अध्यक्ष एवं विकास आयुक्त

Chairman-cum- Development
Commissioner